WESTERN U.P.

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

MARCH 2026

:wupcci01@gmail.com
wupcc23@yahoo.com
: 0121-2661177
0121-4346686
Website: www.wupcc.org
Address: Bombay Bazar,
Meerut Cantt- 250001

- **Patron**

  Dr. Mahendra Kumar Modi

  Dr. Ram Kumar Gupta

- **President**

  Dr. Brij Bhushan

- **Sr. Vice President**

  Shri Ajay Gupta

- **Jr. Vice President**

  Shri Girish Kumar

  Shri Rahul Gupta

- **Secretary / Editor**

  Smt Sarita Agarwal

  Patrika Committee

- **Chairman**

  Shri Rahul Das

- **Co-Chairma**

  Shri Ravi Maheshwari

- **Members**

  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)

  Shri Rakesh Kohli

  Shri Trilok Anand

  Shri Rajendra Singh

  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**

  Ms. Khushi

INDEX

- **U.P CABINET DECISIONS**
  - प्रदेश में सरकारी भूमि पर स्थापित किए जाएंगे निजी बिजनेस पार्क
  - यूपी के 58 छोटे शहर भी बनेंगे स्मार्ट सिटी, मिलेंगी सुविधाएं
  - नए-पुराने कर कानूनों के तहत काम करेगा ई-फाइलिंग पोर्टल
  - विकास क्षेत्र की कृषि भूमि पर अब उद्योग लगाना होगा आसान, सरल होगी प्रक्रिया
  - नक्शा पास होते ही बदलेगा भू उपयोग

- **वित्त मंत्रालय ने वित्तीय क्षेत्र में समावेशिता को मजबूत करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया**
- **प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर सरकार की समग्र प्रतिक्रिया का आह्वान किया।**
- **स्वर्ण ऋण उद्योग ने आरबीआई से नए ऋण नियमों को छह महीने के लिए स्थगित करने का आग्रह किया।**
- **सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऋण गारंटी योजना में संशोधन किया।**
- **Govt May Roll Out Additional Relief Measures For MSMEs Amid West Asia Crisis**
- **DGFT Removes Per-Consignment Cap Value Cap For Courier Exports**
- **Govt Approves Rs 438 Crore Redevelopment Project At New Mangalore Port**
- **India's GDP growth will be 7-7.4% in FY27 due to West Asia crisis, says CEA**
- **Niti Aayog Report Calls For Rs 7.5K Crore Investment, Tech Support For MSMEs To Boost Sports Goods Sector**

- **Govt Notifies New Order To Fast-Track Natural Gas Infrastructure Expansion**
- **Handloom Sector Gets Boost With Expanded Export Promotion Initiative**
- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता**

U.P. CABINET DECISIONS

प्रदेश में सरकारी भूमि पर स्थापित किए जाएंगे निजी बिजनेस पार्क

निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने दो योजनाओं को दी स्वीकृति

राज्य में औद्योगिक व नालेज क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने दो योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क योजना 2025 और सार्वजनिक निजी भागीदारी डिजाइन बिल्ड, फाइनेंस, आपरेट ट्रांसफर (डीबीएफओटी) योजना 2026 शामिल हैं। दोनों योजनाएं प्लग एंड प्ले माडल पर आधारित हैं। योजना के तहत सरकारी भूमि पर निजी निवेशकर्ता द्वारा कम से कम 10 से 20 एकड़ क्षेत्र में बुनियादी ढांचा तैयार कर संबंधित इकाइयों की स्थापना के लिए किराए पर जगह दी जाएगी। इससे निवेशकों की भूमि की लागत कम होगी और इकाई का संचालन जल्द शुरू किया जा सकेगा।

कैबिनेट बैठक में स्वीकृत निजी बिजनेस पार्क योजना के तहत वैश्विक क्षमता केंद्र व नालेज क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से संबंधित कंपनियां निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित किए गए बिजनेस पार्क में किराए पर अपनी इकाइयां स्थापित कर सकेंगी। सरकार 45 वर्ष की अवधि के लिए निजी विकासकर्ताओं को भूमि उपलब्ध कराएगी। जरूरत पड़ने पर इसकी लीज 45 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है। विकासकर्ता संबंधित पार्क में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और कंपनियों को किराए पर उनकी जरूरत के अनुसार उपयोग के लायक जगह उपलब्ध कराएंगे। किराए में से कुछ प्रतिशत राशि सरकार को देनी होगी।

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक निजी भागीदारी डिजाइन वित्त, आपरेट व ट्रांसफर प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड्स योजना के तहत 10 से 20 एकड़ में सरकारी भूमि पर शेड स्थापित किए जाएंगे। इन शेड्स में छोटे निवेशकों को अपनी इकाइयां स्थापित करने की सुविधा दी जाएगी।

- **नालेज और जीसीसी क्षेत्र की कंपनियां कर सकेंगी निवेश**
- **10 एकड़ में शेड बनाकर किराए पर दी जाएगी जगह**

विकास क्षेत्र की कृषि भूमि पर उद्योग लगाना होगा आसान

राज्य सरकार विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र की कृषि भूमि पर उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान करेगी। कृषि से गैर-कृषि भू-उपयोग परिवर्तन को आसान बनाते हुए एसडीएम से अनुमति लेने की प्रक्रिया को खत्म किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों आदि के स्तर से मानचित्र स्वीकृत होते ही भू-उपयोग परिवर्तन मान लिया जाएगा। इसके लिए अलग से शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

सरकार का मानना है कि निवेशकों को भूमि आवंटित किए जाने से उनकी परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा, मौके पर पानी, सीवरेज, बिजली की सुविधा के साथ नक्शा पास कराने से लेकर भवन निर्माण में 18 से 36 माह का समय लगता है। इसलिए सरकार ने निवेशकों की सुविधा व कम लागत में उत्पादन शुरू करने के लिए यह योजना लागू की है।

यूपी के 58 छोटे शहर भी बनेंगे स्मार्ट सिटी, मिलेंगी सुविधाएं

प्रदेश में बड़े शहरों की तर्ज पर अब छोटे शहरों का कायाकल्प किया जाएगा। नगर निगमों की तरह छोटे जिला मुख्यालय वाले 58 नगर निकायों को भी स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार 'नवयुग पालिका योजना' लागू करने जा रही है। इससे संबंधित नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। इस नई योजना के तहत गौतमबुद्ध नगर के दादरी समेत कुल 55 नगर पालिका परिषद और तीन नगर पंचायतों के विकास पर पांच साल में 2916 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार ने इस फैसले के जरिए सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक इस योजना के तहत 58 जिला मुख्यालयों के नगरीय निकायों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पहले चरण में जिला मुख्यालय वाले 55 नगर पालिका परिषदों के साथ ही तीन नगर पंचायतों में इस योजना को लागू किया जाएगा। इन निकायों के विकास पर सलाना 583.20 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।

उद्यमियों को तैयार मिलेंगे औद्योगिक शेड
कैबिनेट ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मॉडल पर प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक शेड्स के विकास के लिए वर्ष 2026 की योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण की गति तेज व विनिर्माण क्षमता का विस्तार करना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में शीघ्र उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार अवसंरचना उपलब्ध कराना है। इस रणनीति से रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे। सरकार का यह कदम यूपी को वन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के लक्ष्य तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान लीज एंड बिल्ड मॉडल में उद्यमियों को भूमि प्राप्त करने के बाद भवन, आंतरिक सड़कें, ड्रेनेज, एसटीपी/ईटीपी तथा अग्निशमन जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भारी निवेश करना पड़ता है।

योजना के तहत इन निकायों में शहरी सुविधाओं से संबंधित विकास के काम कराए जाएंगे। इस योजना के तहत खर्च होने वाली पूरी धनराशि प्रदेश सरकार ही वहन करेगी। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले जहां स्मार्ट सॉल्यूशन्स से डिजिटल गवर्नेन्स को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। प्रस्ताव के है मुताबिक वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पांच सालों में इन शहरों में सुविधाएं देने का काम किया जाएगा।

नए-पुराने कर कानूनों के तहत काम करेगा ई-फाइलिंग पोर्टल

जुलाई में रिटर्न भरने के लिए होगा पुराने फॉर्म का इस्तेमाल

आयकर विभाग ने कहा कि उसका ई-फाइलिंग पोर्टल पुराने और नए कर कानूनों, दोनों के तहत काम करेगा। पिछले सालों से जुड़े सभी निर्धारण, अपील और दूसरी कार्रवाई तब तक पुराने कानून के तहत ही चलती रहेंगी, जब तक उनका अंतिम निपटारा नहीं हो जाता। सरकार इस बात के लिए जरूरी कदम उठा रही है कि दोनों कानूनी ढांचे इनकम टैक्स पोर्टल पर बिना किसी रुकावट के एक साथ काम करें। नए कानून, 2025 के लागू होने से कुछ दिन पहले जारी किए गए. सवालों के एक सेट में आयकर विभाग ने कहा कि जो टैक्सपेयर जुलाई 2026 में निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए रिटर्न फाइल करेंगे, वे पुराने कानून के तहत तय किए गए फॉर्म का इस्तेमाल करके करेंगे। टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर का भुगतान जून 2026 से शुरू होगा, ये कानून के अनुसार किया जाएगा। नया कानून छह दशक पुराने कानून की जगह लेगा। ये एक अप्रैल 2026 से लागू होगा। आयकर विभाग ने कहा, एक अप्रैल 2026 से 1961 का कानून रद्द हो जाएगा। हालांकि, इसके प्रावधान एक अप्रैल से पहले शुरू होने वाले सभी टैक्स वर्षों पर लागू होते रहेंगे।

विकास क्षेत्र की कृषि भूमि पर अब उद्योग लगाना होगा आसान, सरल होगी प्रक्रिया

प्रदेश सरकार विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र की कृषि भूमि पर उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान करने जा रही है। कृषि से गैर कृषि भू उपयोग परिवर्तन को आसान बनाते हुए एसडीएम से अनुमति लेने की प्रक्रिया को खत्म किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों आदि के स्तर से मानचित्र स्वीकृत होते ही भू उपयोग परिवर्तन मान लिया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश-2026 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है। एसडीएम के पास अभी तक भू उपयोग की जो शक्ति थी, उसे राजस्व संहिता की धारा-80 में संशोधन कर अध्यादेश में खत्म कर दिया गया है, ताकि निवेशकों को कम समय में एनओसी मिल सके।

❑ कृषि से गैर कृषि भू उपयोग "में परिवर्तन के लिए एसडीएम से नहीं लेनी होगी अनुमति
❑ मानचित्र स्वीकृत होने पर ही मान लिया जाएगा भू उपयोग परिवर्तन

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के अधिकार क्षेत्रों में जमीन को कृषि से गैर कृषि उपयोग में बदलने की प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी। अध्यादेश के तहत अब भू उपयोग परिवर्तन में एसडीएम की इजाजत नहीं लेनी होगी। विकास प्राधिकरण ही यह कार्यवाही खुद कर सकेंगे। पहले लोगों को कृषि से गैर कृषि भूमि की घोषणा के लिए दो अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरना होता था, जिससे समय भी ज्यादा लगता था और परेशानी भी होती थी। अब इस दोहरी प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि अभी तक भू उपयोग परिवर्तन व नक्शा पास कराने के लिए दोहरी कसरत करनी पड़ती थी। सरल शब्दों में समझें तो कोई व्यक्ति या निवेशक किसी तय क्षेत्र में जमीन पर मकान, दुकान या फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो उसे अब कम कागजी कार्रवाई प्रक्रिया से गुजरना होगा। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और निवेशक भी उद्योग लगाने के लिए उत्साहित होंगे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विकास को भी गति मिलेगी।

नक्शा पास होते ही बदलेगा भू उपयोग

यूपी कैबिनेट का फैसला : राजस्व संहिता में किया गया बदलाव, दोहरी प्रक्रिया खत्म

अब प्राधिकरण द्वारा भूखंड का नक्शा पास होते ही संबंधित भूमि का भू उपयोग परिवर्तन भी माना जाएगा। लैंड यूज बदलवाने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राजस्व जब दरिता 2006 की धारा 2026 को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले लोगों को लैंड यूज परिवर्तन और नक्शा पास कराने की दोहरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इस अहम फैसले के तहत विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विनियमित क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधीन क्षेत्रों में गैर कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज) की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। अब इन क्षेत्रों में अलग से लैंड यूज बदलवाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी भूखंड का नक्शा प्राधिकरण द्वारा पास हो जाता है तो संबंधित भूमि का भू उपयोग वही हो जाएगा जिस उपयोग के लिए नक्शा पास किया गया है। इस फैसले से उद्योग लगाने या फिर कारोबार करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।

बागपत में नई चीनी मिल स्थापित होगी

सरकार ने बागपत दि किसान सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 से बढ़ाकर 5000 टीसीडी करने का फैसला किया है। नई चीनी मिल आधुनिक तकनीक से लैस होगी। कैबिनेट ने इसकी हरी झंडी दे दी। नई मिल से बागपत क्षेत्र के गन्ना किसानों को काफी लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड लखनऊ के अधीनस्थ दि किसान सहकारी चीनी मिल बागपत का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में पुराने हो चुके जर्जर प्लांट और पुरानी तकनीक के कारण काफी नुकसान हो रहा था। नई तकनीक पर आधारित चीनी मिल के संचालन से क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नई तकनीक से मिल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और परिचालन लागत भी कम होगी। इसे क्षेत्र के गन्ना किसानों को नया मिलेगा।

वित्त मंत्रालय ने वित्तीय क्षेत्र में समावेशिता को मजबूत करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया

वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राज्य-संचालित बीमा कंपनियों, नियामकों और अन्य सरकारी नियंत्रण वाले वित्तीय संस्थानों में सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर केंद्रित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

यह कार्यशाला 27-28 फरवरी को अहमदाबाद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा अकादमी में आयोजित की गई थी।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाने की पहलों पर भी चर्चा की गई।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी), क्षेत्रीय नियामकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (पीएफआई) में आरक्षण नीतियों और कल्याणकारी उपायों के एकसमान और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करना था।

अधिकारियों ने कहा कि यह पहल वित्तीय सेवाओं के तंत्र के भीतर समावेशिता और समान पहुंच के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सात सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सात सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श में भाग लिया। कार्यशाला में सुलभता से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर एक गोलमेज चर्चा भी हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने कार्यान्वयन चुनौतियों की जांच की, नीतिगत अपेक्षाओं और परिचालन वास्तविकताओं के बीच अंतर का आकलन किया और दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। कार्यक्रम का समापन एक संवादात्मक सत्र के साथ हुआ जिसमें परिचालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई और वित्तीय सेवा क्षेत्र में समावेशिता, पहुंच और आरक्षण नीतियों के सुसंगत अनुप्रयोग को और मजबूत करने के लिए कार्रवाई योग्य कदमों की पहचान की गई।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर सरकार की समग्र प्रतिक्रिया का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की समीक्षा करने और प्रमुख क्षेत्रों में शमन उपायों का आकलन करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने समन्वित और समग्र सरकारी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों और सचिवों के एक समूह के गठन का निर्देश दिया और साथ ही हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट समूहों को भी निर्देश दिया।

मंत्रिमंडल सचिव ने वैश्विक स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, साथ ही अब तक उठाए गए और सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा योजनाबद्ध किए जा रहे उपायों की जानकारी भी दी। बैठक में कृषि, उर्वरक, पेट्रोलियम, बिजली, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), व्यापार, जहाजरानी और आपूर्ति श्रृंखला सहित विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभावों का आकलन किया गया। समग्र व्यापक आर्थिक परिदृश्य की भी समीक्षा की गई और व्यवधानों से निपटने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक उपायों पर चर्चा की गई। सरकार ने खाद्य, ईंधन और ऊर्जा जैसी आवश्यक सामग्रियों की विस्तृत समीक्षा की। अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक रूप से इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की गई। आगामी खरीफ मौसम के लिए उर्वरक की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा भंडार और पूर्व में की गई तैयारियों से समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जबकि वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की जा रही है। विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता पर्याप्त पाई गई, जिससे बिजली की कमी का कोई तत्काल खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस बढ़ते संघर्ष के वैश्विक निहितार्थ हैं और सभी विभागों को नागरिकों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया। राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। बैठक में रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स जैसे प्रमुख उद्योगों के लिए आयात स्रोतों में विविधता लाने की योजनाओं पर चर्चा हुई। भारतीय वस्तुओं के लिए निर्यात बाजारों का विस्तार करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों के कई प्रस्तावों को हितधारकों से परामर्श के बाद आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा।

स्वर्ण ऋण उद्योग ने आरबीआई से नए ऋण नियमों को छह महीने के लिए स्थगित करने का आग्रह किया।

गोल्ड लोन कंपनियों के संगठन (एजीएलओसी) ने भू-राजनीतिक अनिश्चितता और ऋण प्राप्ति में संभावित बाधाओं का हवाला देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सोने और चांदी के बदले ऋण देने संबंधी संशोधित मानदंडों के कार्यान्वयन को छह महीने तक के लिए स्थगित करने का आग्रह किया है।

उद्योग ने नए ऋण मानदंडों को स्थगित करने की मांग की है ।

आरबीआई, वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग को दिए गए अभ्यावेदनों में, उद्योग निकाय ने अनुरोध किया है कि 1 अप्रैल, 2026 तक प्रभावी होने वाले नए दिशानिर्देशों को बाहरी परिस्थितियों के स्थिर होने तक स्थगित या चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। संशोधित ढांचे का उद्देश्य नियामक मानकों को मजबूत करना और जिम्मेदार ऋण प्रथाओं को बढ़ावा देना है। हालांकि, एजीएलओसी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक वातावरण, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में तनाव, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकता है, मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकता है और परिवारों और छोटे व्यवसायों के नकदी प्रवाह को बाधित कर सकता है।

ऋण प्रवाह और उधारकर्ताओं पर प्रभाव को लेकर चिंताएं।

एजीएलओसी के उपाध्यक्ष थॉमस जॉर्ज मुथूट ने कहा कि उद्योग आरबीआई के इरादे का समर्थन करता है, लेकिन ऋण उपलब्धता को प्रभावित किए बिना सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। एसोसिएशन ने बताया कि ईंधन, एलपीजी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े क्षेत्रों में पहले से ही व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, जबकि कृषि इनपुट की बढ़ती लागत कृषि क्षेत्र के उधारकर्ताओं को प्रभावित कर रही है। एसोसिएशन ने कहा कि इन कारकों के कारण ग्राहकों के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन पैदा हो रहा है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों में, जो औपचारिक ऋण तक समय पर पहुंच पर निर्भर हैं। एजीएलओसी ने इस बात पर जोर दिया कि आय में अस्थिरता के समय तत्काल तरलता प्रदान करके और उपभोग को बढ़ावा देकर, विशेष रूप से छोटे और अनौपचारिक व्यवसायों के लिए, स्वर्ण ऋण प्रतिचक्रीय भूमिका निभाते हैं। संस्था ने आगे कहा कि ऋण स्थगन से जमीनी स्तर पर निर्बाध ऋण प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलेगी, साथ ही उधारदाताओं को नए नियामक ढांचे के अनुकूल अधिक प्रभावी ढंग से ढलने का अवसर भी मिलेगा।

सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऋण गारंटी योजना में संशोधन किया।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लिखित रोडमैप के अनुरूप, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस) में संशोधन किया है ताकि ऋण तक पहुंच को बढ़ाया जा सके और विनिर्माण और निर्यात वृद्धि को समर्थन दिया जा सके।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों और ऋण देने वाली संस्थाओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को शामिल करके योजना को अधिक लचीला और उद्योग की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना है, जैसा कि एएनआई ने रिपोर्ट किया है।

MSME निर्यात के लिए विशेष प्रावधान

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निर्यात-उन्मुख लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। पात्र इकाइयों का लाभ कमाना अनिवार्य है और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में उनका निर्यात कुल कारोबार का कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए।

ऐसी संस्थाओं के लिए, गारंटीकृत ऋण राशि 20 करोड़ रुपये तक निर्धारित की गई है, जिसमें चूक राशि के 75 प्रतिशत तक कवरेज शामिल है।

निर्यातकों के लिए पहले वर्ष की गारंटी शुल्क माफ कर दी गई है, लेकिन दूसरे वर्ष से बकाया ऋण पर 0.50 प्रतिशत का शुल्क लागू होगा।

इन इकाइयों के लिए अग्रिम योगदान ऋण राशि का 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है, और इसे चौथे और पांचवें वर्ष के दौरान किस्तों में वापस किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत और निर्यात में 45 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं, जबकि 35 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि योजना में किए गए संशोधनों से पूंजी निवेश के लिए ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि होने और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एमएसएमई क्षेत्र के विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

ऋण प्राप्ति के लिए प्रमुख संशोधन

इन बदलावों से संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए वित्त तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र में क्षमता विस्तार को मजबूती मिलेगी। एक महत्वपूर्ण संशोधन के तहत, योजना का दायरा सेवा क्षेत्र के लघु एवं मध्यम उद्यमों तक बढ़ाया गया है। मशीनरी और उपकरणों में निवेश की न्यूनतम आवश्यकता को भी पहले के 75 प्रतिशत से घटाकर कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे पूंजीगत व्यय की संरचना में अधिक लचीलापन मिलेगा।

सरकार ने उपकरण वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक सहायता सुनिश्चित करने हेतु गारंटी की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, अग्रिम अंशदान के मानदंडों में भी बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब 5 प्रतिशत अंशदान वापसी योग्य कर दिया गया है।

संशोधित संरचना के तहत, संतोषजनक ऋण प्रदर्शन के अधीन, चौथे वर्ष से आगे प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत लौटाया जाएगा, जिससे उधारकर्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होगा।

Govt May Roll Out Additional Relief Measures For MSMEs Amid West Asia Crisis

The Central Government is likely to announce additional relief measures for vulnerable sectors, including Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), if the ongoing West Asia conflict persists, sources said.

The move is aimed at helping businesses manage rising costs while keeping inflation under control in the domestic market.

The Union Finance Ministry's monthly publication in its latest issue has stated that India will need to provide immediate relief to the most affected and vulnerable businesses and households.

The Monthly Economic Review for the month of March 2026 also called for generating fiscal space to meet strategic and long-term needs underscored by the ongoing conflict such as the need to build long-term buffers in several commodities and materials besides energy-related ones.

Fuel Tax Cuts and Export Duty Measures

As part of its initial response, the government has already reduced additional special excise duty on diesel and petrol to cushion consumers against rising global crude prices.

At the same time, duties on the export of diesel and aviation turbine fuel (ATF) have been reintroduced to ensure adequate domestic availability.

Global crude oil prices have surged significantly since the escalation of hostilities involving the United States, Israel, and Iran, briefly touching USD 119 per barrel earlier this month before moderating to around USD 100 per barrel.

India remains heavily dependent on energy imports, sourcing nearly 88 percent of its crude oil and about half of its natural gas requirements from overseas markets, much of it routed through the strategically critical Strait of Hormuz.

Disruptions in this region have increased concerns over supply stability, logistics, and costs.

Support Measures for Exporters

To ease pressure on exporters, the government has introduced several measures, including relaxations in meeting export obligations amid supply chain disruptions. It has also launched the Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF) scheme, with an outlay of Rs 497 crore, to offset the impact of rising freight costs, higher insurance premiums, and war-related risks. The initiative is expected to support MSME exporters, prevent order cancellations, and safeguard employment in the export sector. Federation of India Micro, Small and Medium Enterprises (FISME) President, SK Jain said, "MSMEs across sectors from textiles and engineering to chemicals and metals are facing an unprecedented cost liquidity squeeze driven by volatile raw material prices, energy shortages, and severe logistics disruptions. Sharp increases in steel, polymers, cotton, LPG, and freight costs, coupled with shipment delays and working capital blockages, are eroding operations and threatening export competitiveness of MSMEs." "FISME urges the government to act swiftly through raw material price stabilization, reduction of import duties on critical inputs, assured energy supply at subsidized industrial tariffs, and immediate freight and logistics support. Equally critical is easing liquidity through enhanced working capital limits, interest subvention, faster GST. refunds, and emergency credit lines for exporters", he added In a further relief, the government has restored full benefits under the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme for all eligible export products. The decision follows concerns raised by exporters after earlier reductions in benefit rates. The restoration will remain effective from February 23, 2026 to March 31, 2026, as notified by the Directorate General of Foreign Trade.

Rising Logistics and Operational Challenges

Escalating security concerns in West Asia have led to vessel diversions, longer shipping routes, congestion at transshipment hubs, and the imposition of conflict-related surcharges.

These developments have increased logistics costs and created uncertainty for export consignments, particularly those routed through or destined for the region.

Officials indicated that the government remains prepared to introduce further targeted interventions to support vulnerable sectors and maintain economic stability if geopolitical tensions continue to disrupt global trade and energy markets.

DGFT Removes Per-Consignment Cap Value Cap For Courier Exports

The government has removed the per-consignment value limit for exports through courier services, in a move aimed at facilitating trade and improving ease of doing business.

Earlier, courier exports were capped at Rs 10 lakh per consignment. The amendment removes this limit entirely, allowing shipments of any value through registered courier services, subject to applicable regulations under the Customs Act, 1962 and ITC (HS) export policy.

Shipping & Logistics The new provision will come into effect from April 1, 2026, after which the existing value cap will stand withdrawn. The move is expected to benefit exporters, particularly micro, small and medium enterprises (MSMEs), e-commerce firms and small businesses, by providing greater flexibility in shipment sizes. It is also likely to ease logistics, streamline export procedures and support higher export volumes through courier channels.

The Federation of Indian Micro and Small & Medium Enterprises (FISME), the national body of MSMEs, has acknowledged the move, as it had previously raised concerns regarding this in its Budget recommendations. The amendment was notified under Notification No. 67/2025-26 dated March 27, 2026, by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT).

The revision has been made to Para 9.05 of the Foreign Trade Policy 2023, which governs exports through courier services and post offices.

Govt Approves Rs 438 Crore Redevelopment Project At New Mangalore Port

In a move aimed at strengthening port infrastructure and maritime logistics, Union Minister of Ports, Shipping and Waterways has approved the redevelopment of berthing facility at New Mangalore Port for handling liquid bulk cargo on a Public-Private Partnership (PPP) basis.

The Berth 9 upgrade at the port involves dismantling ageing infrastructure and developing a modern berth to handle crude oil, petroleum products (POL), and LPG. As part of the upgrade, the berth's draft will be increased from 10.5 metres to 14 metres, with provision for future expansion up to 19.8 metres, enabling the handling of vessels up to 2,00,000 DWT, including Very Large Gas Carriers (VLGCs). Shipping Minister noted that the redevelopment would significantly augment cargo handling capacity and support future energy and trade requirements. With an estimated cost of Rs 438.29 crore, the project will be executed by a private concessionaire selected through a competitive bidding process. It is designed to handle 10.90 million tonnes per annum (MTPA), with a Minimum Guaranteed Cargo (MGC) commitment of 7.63 MTPA by the fifth year.

The construction timeline of the project is two years, while the concession period is set at 30 years.

The redevelopment is expected to replace nearly five-decade-old infrastructure with modern facilities designed for a structural life of 50 years, improving long-term sustainability and operational resilience.

Mechanisation measures, including installation of Marine Unloading Arms (MULAs) and automated mooring systems, are expected to enhance efficiency and reduce turnaround time.

Additionally, the project incorporates advanced safety systems such as modern firefighting infrastructure, nitrogen generation systems, and integrated control mechanisms for handling hazardous cargo.

It is also expected to ensure stable revenue generation for the port authority through royalty-linked payments and cargo commitments.

Strategically, the upgraded berth will strengthen the role of New Mangalore Port as a key maritime gateway for the Karnataka and Kerala hinterlands, improving energy supply chain efficiency and supporting regional industrial growth.

India's GDP growth will be 7-7.4% in FY27 due to West Asia crisis, says CEA

India's gross domestic product (GDP) growth will be in the range of 7.0 per cent to 7.4 per cent for FY27, signalling considerable downside due to the ongoing conflict in West Asia, Chief Economic Adviser (CEA) said. On the 27th February, we upgraded India's growth estimate (at constant prices) for FY27 to a range of 7.0 per cent to 7.4 per cent. Clearly, there is considerable downside to this number," Nageswaran was quoted as saying in a monthly economic review report for March compiled by the Finance Ministry.

On similar lines, He pointed out that in the current and the preceding financial years, net capital flows to India have been sharply lower, although gross foreign direct investment flows have remained steady. He highlighted that continued efforts to lower manufacturing costs, such as reducing tariffs on industrial power, allowing employers and employees to agree on averaging labour hours over a quarter or half year, and reducing overtime rates, will further enhance the country's already-strong attractiveness as an investment destination, given its market size.

"Further, in the current circumstances, credible assurances of tax policy certainty, stability, and continuity will matter more than ever," he stated.
Furthermore, He noted that the country should leverage the fallout to redouble our recent reform efforts to enhance India's competitiveness and preparedness.
"Given the considerable impact of the conflict on India's economy, we should leverage the fallout to redouble our recent reform efforts to enhance India's competitiveness and preparedness," he further said.
The 'entrepreneurial mindset' in bureaucracy (not making the 'best' the enemy of the 'good'), accompanied by enhanced speed of decision-making, discussed in Chapter 16 of the Economic Survey, is precisely what is called for if India is to emerge from this episode stronger, more resilient, and more competitive, he added.

Niti Aayog Report Calls For Rs 7.5K Crore Investment, Tech Support For MSMEs To Boost Sports Goods Sector

A NITI Aayog report has proposed roadmap envisaged an investment of around Rs 7,500 crore between 2027 and 2031 to strengthen India's sports goods manufacturing capabilities and export competitiveness. The report titled 'Realising the Export Potential of India's Sports Equipment Manufacturing Sector' has outlining India's manufacturing capabilities, global market opportunities, and policy measures required to enhance the country's competitiveness in the sector. The report has identified several challenges affecting export competitiveness of the sector, including a 15-20 percent cost disadvantage compared to competing countries, high duties on raw materials, certification costs, logistics inefficiencies, limited access to advanced technologies, and weak global branding. To address these issues, the report recommends measures such as rationalisation of duties on critical inputs, technology upgradation support for MSMEs, development of new manufacturing clusters in port-based states, modernisation of existing clusters, and establishment of shared testing and certification facilities. It has also suggested developing a global 'Brand India' framework for sports equipment. Aligned with the government's Make in India initiative and the vision of Viksit Bharat @2047, the report highlights the potential of the sports equipment sector to drive export-led manufacturing growth and employment generation, particularly through MSME-led clusters.

Global Opportunity

According to the report, the global sports goods market was valued at around USD 700 billion in 2024 and is projected to exceed USD 1 trillion by 2036. The sports equipment segment alone accounts for about USD 140 billion and is expected to reach USD 283 billion during the same period.
In comparison, India's exports of sports equipment currently stand at approximately USD 275 million, representing around 0.5 percent of global exports.

India's Current Position

India's sports goods manufacturing ecosystem is concentrated in key clusters such as Jalandhar and Meerut, with nearly 90 percent of production undertaken by micro and small enterprises. The domestic sports goods market is estimated at about USD 2.5 billion.
The report estimates that India's sports equipment exports could increase to approximately USD 8.1 billion by 2036, raising its share in global exports to around 11 per cent and generating about 54 lakh jobs.

Govt Notifies New Order To Fast-Track Natural Gas Infrastructure Expansion

A new order under the Essential Commodities Act has been notified by the Ministry of Petroleum and Natural Gas to accelerate the development of natural gas supply infrastructure amid disruptions linked to the Middle East crisis.

Framework To Accelerate Gas Infrastructure Expansion

The 'Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Building, Operation and Expansion of Pipelines and Other Facilities) Order' establishes a time-bound framework for laying and expanding pipeline networks across the country.

The move aims to address longstanding challenges such as delays in approvals and issues related to land access that have slowed infrastructure rollout.

According to the ministry, the order, published in the Extraordinary Gazette of India, comes into immediate effect and provides a transparent and investor-friendly framework to support efficient gas distribution, faster infrastructure expansion, and wider access to cleaner energy.

Boost To Clean Energy Transition And Connectivity The reform is expected to facilitate the expansion of piped natural gas (PNG) networks, improve last-mile connectivity, and promote the adoption of cleaner fuels across households, transport, and industrial sectors.

It aligns with India's broader goal of transitioning towards a gas-based economy while strengthening energy security. At its core, the order seeks to simplify procedures, reduce regulatory bottlenecks, and create a predictable operating environment for stakeholders. Key features include a transparent regulatory structure, greater operational flexibility for companies, and a consumer-centric approach to service delivery. The government noted that rising energy demand and evolving global energy dynamics require a more resilient and diversified energy system. The order is expected to support faster infrastructure development and position natural gas as a key transition fuel in India's energy mix.

Handloom Sector Gets Boost With Expanded Export Promotion Initiative

The government has taken many steps to promote handloom exports from the country by enhancing its competitiveness in the global markets, Union Textiles Minister said while reply to a question in Lok Sabha. The Minister highlighted that handloom exports to countries such as the United States, United Arab Emirates, Netherlands, France and United Kingdom have shown varying trends between 2022–23 and 2024–25, reflecting shifting global demand patterns.

He said that in order to boost exports, the Ministry of Textiles is implementing the Handloom Marketing Assistance component under the National Handloom Development Programme. The initiative is aimed at developing and promoting marketing channels in both domestic and international markets in a comprehensive manner.

A key element of the initiative is facilitating participation of exporters and weavers in international trade fairs and marketing events, including buyer-seller meets, reverse buyer-seller meets, Bharat Tex and the India International Trade Fair, through the Handloom Export Promotion Council.

Additionally, the Minister said that 'India Handloom Brand (IHB)' is being promoted to position high-quality handloom products in premium global segments. The brand focuses on 100 per cent handloom products made from natural fibres, ensuring quality assurance, eco-friendly production and traditional craftsmanship.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या–194/36 –3–2014–07 (न्यू0वे0)/4 दिनांकः 28–1–2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या–850/36–03 –2019 –931(न्यू0वे0)/06 दिनांकः 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरें एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुकम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जून 2025 से दिसम्बर 2026 के औसत अंक 425 पर दिनाकः 1–4–2026 से 30–9–2026 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:–

दृष्टान्त–रूपये 5750/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–425 पर दिनांकः 1–4–2026 से 30–9–2026 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(425--216)

.... .X5750= रू0–5563.65/–प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें ।

कमॉक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांकः1.10.2025 से 31.3.2026 तक कुल मजदूरी (रूपये में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में दिनांकः1.04.2026 से 30.9.2026 तक	दिनांकः1.04.2026से 30.9.2026 तक कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दिनांकः1.04.2026से 30.9.2026 तक दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	11021	5563.65	11313.65	435.14
2	अर्धकुशल	6325	12123	6120.00	12445	478.65
3	कुशल	7085	13580	6855.37	13940.37	536.16

2 ईंट भट्ठा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:–

कमॉक	श्रेणी	दिनांकः1.04.2026से 30.9.2026 तक		
1 2	अकुशल कुशल	उपरोक्त तालिका के कमॉक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
3	पथेरा	रू0–365	रू0–353.13	रूपया–718.13/– प्रति हजार
	भराईवाला (1) 500 मीटर की दूरी तक (2) 500 मीटर से अधिक	रू0–110 रू0–132	रू0–106.42 रू0–127.71	रूपया–216.42/– प्रति हजार रूपया–259.71/– प्रति हजार
4	निकासी वाला	रू0–110	रू0–106.42	रूपया–216.42/– प्रति हजार

1 रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2 प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
3 मिष्ठान उद्योग।
4 वासित पेयो(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5 फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6 परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
7 पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8 डेरी और मिल्क डेरी।
9 सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10 बॉध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालावों की खुदाई।
11 उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है।
12 प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13 ढलाई घर।
14 धातु उद्योग।
15 टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16 ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17 चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
18 चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19 होजरी सकर्म।
20 निजी पुस्तकालय।
21 काष्ठ सकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22 प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित है।
23 तम्बाकू विनिर्माण।

24 धर्मशाला।
25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26 दुकानों में
27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29 तेल मिल।
30 लोक मोटर परिवहन।
31 यॉत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35 चिकन के कार्य।
36 दियासलाई उद्योग।
37 आइसकैण्डी/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39 बर्फ विनिर्माणशाला।
40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशचला।
41 लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
42 जिल्दसाजी।
43 कोल्ड स्टोरेज।
44 पाटरी, सिरैमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45 निजी मुद्रणालय।
46 सिनेमा उद्योग।
47 कपड़ा छपाई।
48 सिलाई उद्योग।
49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50 क्लब
51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
54 खाण्डसारी।
55 हथकरघा उद्योग।
56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59 ईंट भट्ठा उद्योग।
60 ताला उद्योग के नियोजन में।
61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्व किया-कलाप सम्मिलित नही है।
64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67 टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पों एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70 विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्तें) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों मे) में नियोजन।
71 हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73 काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हो, में नियोजन।

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 1477-84 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक: 25/03/2026

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको द उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉंगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

Digitally signed by
MARKANDEYA SAHI
Date: 25-03-2026
18:02:41

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।